

आदेश पत्रक

देश अंग्लिसेय हस्तक, 1914 का नियम 129

तक जिला धनबाद

संकेत संख्या

आदेश संख्या

4087/6

धारा 5C

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर

प्रमाणित


30/3/16


18.4.16

प्रथम पक्ष के द्वारा तमर्पित आवेदन पत्र पर अधिवक्ता को सुना । आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-गंताडीह, मौजा नं०-105, बाता नं०-04, प्लोट नं०-127 & 227, सरिया-37 डी०। चौहददी-उत्तर-नीज, दक्षिण-नीज बलिहान, पुरब-द्वितीय पक्ष, पश्चिम-नीज के जमीन पर विपक्षी निर्माण कार्य करना चाहते हैं । इस प्रकार विपक्षी के कार्यों से पक्षकारों के बीच शांति भंग हो सकती है ।

अतः आवेदक के आवेदन पत्र के आलोक में विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि दि०- 8.4.16 को 10.00 बजे पूर्वा० में मेरे न्यायालय में निश्चित स्थ से उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध धारा-144 द.प्र.सं.के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाय ।

लेखापित एवं संशोधित


 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद।


 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद।